नेहरू को श्रृद्धासुमन अर्पित

टोंक। आधुनिक भारत के निर्माता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी टोंक द्वारा जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नेहरू पार्क टोंक स्थित स्व.पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। जिलाध्यक्ष बैरवा ने पंडित नेहरू को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक सशक्त और प्रगतिशील भारत के निर्माण में पंडित नेहरू अतुल्यनीय योगदान को याद किया जायेगा, उनकी दूरदर्शिता विचार एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्त्रोत है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'कड़ी मेहनत से बड़े से बड़े मुकाम को हांसिल किया जा सकता है'

- आरएएस सेमिनार का आयोजन, विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ लिया भाग
- विशेषज्ञ वक्ताओं ने किया विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं सफलता के बताये टिप्स

कोटपूतली। कस्बे के पुलिस थाने के पीछे स्थित अशोका कोचिंग संस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) सेमिनार का आयोजन हुआ। इस प्रेरणादायक सेमिनार में बड़ी संख्या में विधार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ताओं ने विधार्थियों को आरएएस परीक्षा की रणनीति, पाठ्यक्रम, समय प्रबंधन एवं उत्तर लेखन कलां पर मार्गदर्शन प्रदान किया। अधिकारियों ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

साथ ही छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं सफलता के टिप्स बताये। वहीं आईएएस पूनम कसाना ने अपने अनुभव साझा करते हुए छात्रों को कई उपयोगी जानकारियां दी एवं उन्हें मोटीवेट किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत व नियमित अध्ययन से बड़े से बड़े मुकाम को भी हांसिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगें, जो देश की नीतियों को क्रियान्वित करती है, तब तक देश की तरक्की संभव नहीं है। सेमिनार में एसडीएम दिनेश कटारिया, बीडीओ हरिओम, प्रो. अशोक चौहान, उप प्रधानाचार्य सोमेश सैनी, व्याख्याता राजेश यादव आदि ने भी विधार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

संस्थान के निदेशक इंजी. योगेश चौधरी, इंजी. विक्रम कसाना, इंजी. राजेश चौधरी ने बताया कि अशोका कोचिंग संस्थान लगातार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिये ऐसे शैक्षणिक व प्रेरणात्मक आयोजनों का संचालन करता आ रहा है। यह संस्थान ना केवल शैक्षणिक सफलता दिलाने में सहायक है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास निर्माण और कैरियर मार्गदर्शन में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने सेमिनार के सफल आयोजन पर विधार्थियों, अतिथियों, वक्ताओं व शिक्षकों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने इसे सार्थक व यादगार बनाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अशोका कोचिंग संस्थान ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस मौके पर संस्थान के चौयरमैन व समाजसेवी शंकर लाल कसाना, शिक्षाविद् प्रधानाचार्य पूरण कसाना ने आईएएस पूनम कसाना समेत अन्य अधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विधार्थी एवं स्टॉफ सदस्य मौजूद रहे।

आईएएस पूनम कसाना ने कोटपूतली में सेमिनार को सम्बोधित किया।

फल सब्जियों के सैम्पल लिए

कोटपूतली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक,अति. जिला कलेक्टर कोटपूतली-बहरोड डॉ ओमप्रकाश सहारण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली-बहरोड डॉ आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फलों और सब्जीयों में हानिकारक रसायनों की मिलावट के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटपूतली में सब्जीयों एवं फल-फ्रूट की दुकानों का औचक निरीक्षण कर फल-फ्रूट एवं सब्जी इनमें सेब, आम, अंगूर, तरबूज, मौसमी, केला, भिंडी एवं करेला का नमूना लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।

जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की निरीक्षण के दौरान फल व सब्जियों को प्रतिबंधित रसायनों से पकाया जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। फलों में मिलाये जा रहे हानिकारक रसायन से लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा रहता है। कद्दू और लोकी जैसी सब्जीयों का आकार बढाने के लिए ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन लगया जाता है जिससे हड्डियां कमजोर होती है।

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
वाद संख्या 27/2025
नाम न्यायाल-उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
दौलत विरूद्ध उर्मिला देवी वगैराह
वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

नाम (1) उर्मिला देवी पत्नी श्री रामनिवास सैनी जाति माली निवासी कमलांचल श्याम मित्र मण्डल जयपुर (राज0) ने आपके विरूद्ध तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 02/6/25 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं एवं किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धि सभी सारवान प्रश्नो के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश कर जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा कि दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तों आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय संजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति किया जायेगा।
यह आज दिनांक 20/05/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मोहर अदालत
रीडर-उपखण्ड अधिकारी
रातपूरा डाबडी, जिला-जयपुर

NAME CHANGE

I have change my name Anil kumar Sharma to Anil Sharma s/o Banshi Lal Sharma for all Future Purpose Add- 40/2, Shriram Colony, Golyawas Mansarovar Jaipur

I Kamlesh legally wedded spouse of No JC-372733N Ex Hony Sub Maj Ram Singh Rathore S/O Bakshu Singh Rathore resident of vill post Nimbri Kothariyan Teh Degana Distt Nagaur that I have changed my name which is wrongly entered in my husband service record from Kamlesh To Kamlesh kanwar vide affidavit dated 26 May 2025 before district notary Pilwa (Parbatsar) Nagaur Rajasthan.

खोया पाया

श्री अग्रवाल समाज चौरासी प्रवासी समिति जयपुर का मूल संस्था रजिस्ट्रेशन विधान, चालान कॉपी एवं अन्य संबंधित सभी कागजात फाइल जयपुर में कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें- रामपाल जैन महामंत्री 9314091161

मेरे मकान संख्या DWT/A-303 मानसरोवर जयपुर का राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी नाम हस्तांतरण पत्र कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। शीतल यादव- 9829898116

श्रीमती शारदा नागौरी पत्नी हरिकिशन नागोरी प्लॉट नंबर 204 लक्ष्मी नगर निवारू रोड़ झोटवाड़ा जयपुर राजधानी मेट्रोपोलिस ब्लॉक प्लॉट नंबर P-47 मूल पट्टा साइड प्लान स्टाफ पेपर राजधानी मेट्रोपोलिस प्लॉट नंबर Q-27 मूल दस्तावेज मूल पट्टा साइड प्लान स्टाम्प पेपर प्लॉट नंबर Q-34 मूल पट्टा साइड प्लान स्टाम्प पेपर वह मूल मुख्तारनामा को खो गये हैं 9041234599

House No 50/379, pratap nagar Original seven days letter number 2026 dated 23/11/1996 lost. inform me pawan kanwar 8742050266

उपभोक्ता आयोग ने तहसीलदार पावटा को लगाई फटकार

- एक माह के भीतर सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भेजने के निर्देश
- मानसिक पीड़ा, असुविधा तथा वाद व्यय के लिए शिकायतकर्ता को 2000 की राशि अदा करने के भी दिए आदेश

कोटपुतली। नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसले में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-ण्ण्ण ने लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह, द्वारा दाखिल एक जनहित उपभोक्ता शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार (रिकॉर्ड कीपर), तहसील पावटा, जिला कोटपुतली-बेहरोड़ को कड़ी फटकार लगाई है।

गौरतलब है कि राव धनवीर सिंह ने 09 नवम्बर 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार पावटा को ईमेल के माध्यम से एक आवेदन भेजा था, जिसमें उन्होंने कुछ सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की मांग की थी। उन्होंने विधिवत रूप से शुल्क भी अदा किया, साथ ही दिनांक 14.11.2024 और 22.11.2024 को स्मरण पत्र भेजे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई उत्तर या दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। जब अधिकारियों की चुप्पी बनी रही, तो राव ने 30.01.2024 को आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उल्लेख किया गया कि दस्तावेज न देना न केवल सेवा में त्रुटि है, बल्कि एक सजग नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन भी है। आयोग ने मामले में फैसला सुनाते हुए आदेश में आयोग ने माना कि तहसीलदार ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है और यह उपभोक्ता सेवा में स्पष्ट त्रुटि है। इसके परिणामस्वरूप आयोग ने आदेश दिया कि प्रतिवादी तहसीलदार, आवेदन के बिंदु संख्या 2, 5 एवं 6 में मांगे गए सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां एक माह के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेजें। साथ ही मानसिक पीड़ा, असुविधा तथा वाद व्यय के लिए शिकायतकर्ता को 2000 की राशि दी जाए, जो यदि समय पर न दी जाए तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय होगी।

सरपंच की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं

- बोलीं- सरकारी योजनाओं में रोजगार देकर घर का काम करवाती है, सिर्फ अपने लोगों को देती है रोजगार

भरतपुर (निस)। भरतपुर जिले के हलैना थाना इलाके की नया गांव माफी की महिलाएं मंगलवार को सरपंच की शिकायत करने के लिए कलेक्टर अमित यादव के पास पहुंची। महिलाओं का कहना है कि गांव की सरपंच उन्हें सरकारी योजनाओं में रोजगार नहीं दे रही और, जिन लोगों को रोजगार देती है उनसे अपने घरों का काम करवाती है। गांव की महिला सुषमा ने बताया कि, हमारे गांव की सरपंच मिथलेश है।

वह ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं में रोजगार देने में भेदभाव करती है। सरपंच सिर्फ अपने लोगों को रोजगार देती है। बाकी गांव की महिलाएं जब रोजगार के लिए जब सरपंच के पास जाती हैं तो, वह उन्हें रोजगार नहीं देती। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है लेकिन, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हम सभी गरीब तबके से आती हैं। इसलिए हमें अपना परिवार चलाने के लिए रोजगार की सख्त जरूरत है। महिलाओं ने बताया सरपंच जिन लोगों को रोजगार देती है वह उन लोगों से अपना निजी काम करवाती है। कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम मिस्ट्रोल में है और वह सरपंच के यहां पशुओं का रखरखाव करते हैं। साथ ही सरपंच के घर में काम करते हैं। सरपंच सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रही है। महिलाओं की बात सुनने के बाद कलेक्टर अमित यादव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कार्यालय नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर (राज.)
Ph. 01422-272066 Email- shahpura.jaipur@gmail.com
क्रमांक :-न0प0शा0/2025-26/553 दिनांक :- 26.05.2025

निविदा सुचना वर्ष 2025-26

नगर परिषद शाहपुरा जयपुर द्वारा निम्नानुसार कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है विस्तुत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय समय सूचना बोर्ड पर देखा जा सकता है।

SPPP UBN	SPPP NIB
DLB2526SSOB05927	DLB2526A1721

आयुक्त
नगर परिषद शाहपुरा जयपुर
राज.संवाद/सी/25/3117

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ/2025/75 दिनांक: 26.05.2025

-: : ई-निविदा सूचना संख्या 23 से 29 तक /2025-26 : :-

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के अनुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in पर निम्न UBN No. JMC2526WSOB00630, JMC2526WSOB00631, JMC2526WSOB00632, JMC2526WSOB00633, JMC2526WSOB00634 JMC2526WSOB00635 व JMC2526WSOB00636 पर देखा जा सकता हैं।
इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक हैं।
अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/3139

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/76 दिनांक: 26.05.2025

ई-निविदा सूचना सं. - 73 से 94/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मालवीय नगर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण निविदा सूचना संख्या- 73 से 94/2025-26 दिनांक 23.05.2025 से नगर निगम जयपुर ग्रेटर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से अपलोड की जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number (UBN) JMC2526WSOB00606 To JMC2526WSOB00607 व JMC2526WSOB00610 To JMC2526WSOB00629 तक है।
अधिशाषी अभियंता
(मालवीय नगर जोन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/3141

2.86 किलो अवैध डोडा चूरा सहित एक कार जब्त

मालपुरा (निस) अवैध मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम को लेकर लाम्बाहरिसिंह थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कांटोली मोड के पास एक कार को जप्त कर 2 किलो 86 ग्राम अवैध डोडा चूरा व कम्प्यूटर कांटा जप्त किया।

थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि सोमवार की रात मंगलवार की अलसवेरे दौराने गश्त के कांटोली मोड के पास पुलिस वाहन को आता देख कार चालक ने भागने का प्रयास करते हुये कार को सडक किनारे छोड अंधेरे का फायदा उठा भागने मे सफल रहा। पुलिस टीम ने कार को पुलिस सुरक्षा मे ले तलाशी ली तो कार से 2 किलो 86 ग्राम अवैध डोडा चूरा व इलेक्ट्रीक कांटा मिला।

पुलिस टीम ने डोडा चूरा सहित कार व कांटे को जप्त कर मामला दर्ज कर कार चालक व अवैध डोडा परिवहन कर रहै व्यक्ति की तलाश शुरू की। वही थाना पुलिस ने दो साल से फरार चल रहै वांछित स्थाई वारंटी हरिसिंह पुत्र जगदीश चौहान निवासी दतोब को किया गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थो के नशे की लत मे डूब रहै युवा पीढी को बचाने का प्रयास करते हुये पुलिस टीम ने विशेष अभियान चला कार्यवाही की है।

लाम्बाहरिसिंह थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन करने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

नवीन कार्यकारिणी का गठन

कोटपूतली। कस्बे के दिल्ली जयपुर राष्ट्रीस राजमार्ग स्थित आरटीएम होटल में मंगलवार को कोटपूतली कर सलाहकार संघ की बैठक अध्यक्ष एड. अशोक कुमार बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें संघ के सभी सदस्यों ने नवीन कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस मौके पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर एड. अशोक कुमार बंसल, उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता व कृष्ण सैनी, सचिव राहुल अग्रवाल, प्रवक्ता अविनाश तिवाड़ी, सहसचिव मनोज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अमित बंसल, प्रशिक्षण प्रभारी बृजेश अग्रवाल को दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर संघ के सभी सदस्यों द्वारा कार्यकारिणी पदाधिकारियों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बैठक में अकिंत गोयल, राकेश गोयल, कुलदीप गर्ग, मनिष मित्तल समेत अन्य मौजूद रहे।

कार्यालय विकास अधिकारी
पंचायत समिति करौली, जिला करौली
क्रमांक-पं.स.क./स्व.भा.मि./ई-निविदा/2025-26/21 दिनांक-26/05/25

ई-निविदा सूचना SBM/02/2025-26

पंचायत समिति करौली के अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 31.03.2026 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 मे घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदा से संबधित विस्तृत विवरण https://eproc.rajasthan.gov.in एवं https://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय पर देखी जा सकती हैं।
NIB :-ZKR2526A0102
UBN: ZKR2526SLRC00167
विकास अधिकारी
पंचायत समिति करौली
जिला करौली

फरार आरोपी गिरफ्तार

तीन आरोपी गिरफ्तार

कोटपूतली। कस्बे के निकटवर्ती सरूण्ड थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शराब तस्करी के मामले में लम्बे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है। थाना प्रभारी बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी घटना से बाद से फरार हो गया था। जो महाराष्ट्र चला गया था और ट्रक चलाता था। पुलिस ने आसूचना के आधार पर टीम गठित कर आरोपी को सरूण्ड स्थित कोरवी कम्पनी के पास से गिरफ्तार किया है।

फुलेरा । जयपुर जिला ग्रामीण उप महानिरीक्षक पुलिस सह-पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 25 मई सोमवार को अभय कमाण्ड कन्ट्रोल रूम जयपुर से फुलेरा पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि पीपली का बास पुलिया से सूचनाकर्ता मुकेश ने बताया है कि एक कैम्पर गाड़ी में करीब 5-6 लोग आये और 2 लड़कों को किडनैप करके ले गये है। इस पर पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों के नेतृत्व एवं सुपरविजन में फुलेरा थानाधिकारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस की टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा लड़कों का अपहरण करने वाले आरोपियों की लोकेशन का पता लगाकर कैम्पर का पीछा किया। साथ ही अन्य थानों द्वारा नाकाबन्दी करवायी गई। इसके चलते अपहरणकर्ता अपनी कैम्पर गाड़ी सूनसान रोड़ व कच्चे रास्ते से भगाकर ढाणी बोराज के पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर बीड़ मे रोककर फरार होने में थे। परन्तु पुलिस की टीम द्वारा पीछा करते हुए अगले ही दिन 26 मई को अपहृत लड़के अजय कुमार वर्मा पुत्र शिम्भूदयाल वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी जैतपुरा को दस्तयाब किया। साथ ही अपहरण कर्ता आरोपी अशोक पुत्र रमेश जाति गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासी ढाणी बोराज थाना क्षेत्र जोबनेर, राकेश पुत्र रमेश जाति गुर्जर उम्र 19 वर्ष निवासी ढाणी बोराज थाना क्षेत्र जोबनेर, छोटू पुत्र धन्ना लाल जाट जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी ढाणी बोराज थाना क्षेत्र जोबनेर को डिटेन किया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-3271 दिनांक-26/05/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या S-29 TYPE-D (NRI), (एरिया 750.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन कुमारी पल्लवी गर्ग पुत्री श्री बाल किशन गर्ग को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1891 दिनांक 05.02.2008 को जारी किया गया। कुमारी पल्लवी गर्ग द्वारा श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना को दिनांक 22.07.2008 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री दीपक खन्ना के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से कुमारी पल्लवी गर्ग के पक्ष मे पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 14.10.2009 को पंजीकृत करवाये गये। श्री दीपक खन्ना द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 14.10.2009 के द्वारा श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास मे अपना नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 58/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नीरज गर्ग पुत्र श्री हरीश चन्द गर्ग निवासी 217 स्कीम नम्बर 1, आर्य नगर, अलवर राजस्थान-301001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत चिनार एज्यूकेशन फाउण्डेशन सोसायटी, 6.5 किलोमीटर स्टोन, जयपुर रोड़, लिवारी रोड़, तहसील व जिला अलवर (चिनार पब्लिक स्कूल अलवर) के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 22.07.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

सार्वजनिक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**
क्रमाक- जविप्रा/ उपा./जोन-14/2025/ डी-985 दि. 23.05.25
आवेदक श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री गौतम धर्मेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम श्रीरामपुरा तह. सांगानेर के ख.नं. 513/1, 514/1, 515, 516 कुल किता 04 कुल रकबा 0.51 हैक्ट. 90ए शुदा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन करने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। यदि उक्त आवेदन/ अनुमोदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-14, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त कालावधि में आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नही होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 22.05.2025 को जारी की गई है। **उपायुक्त जोन-14,**
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

हत्या का प्रयास करने वाला युवक 24 घण्टे में ही गिरफ्तार

- हत्या के प्रयास के काम में ली गई गाडी जब्त

सांभरझील, (निसं)। जोबनेर पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के मामले में एक युवक को महज 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या के प्रयास के काम में ली गई गाड़ी को भी पुलिस ने जप्त किया। आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस सह-पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया कि दिनांक 26 मई को मदनलाल जाट निवासी जाटों की ढाणी, माच्छखानी, तहसील जोबनेर की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।

जिसमें बताया गया था कि परिवादी के बड़े भाई व मेरी भतीजी को जोबनेर परीक्षा दिलवाकर वापस अपने घर जा रहे थे तो पुष्पेन्द्र व उसका एक साथी बोलेरो गाडी से हत्या करने की नियत से आए तथा पहले दो बार बोलेरा गाडी को मोटर साईकिल के आगे पीछे चलाया तथा बाद में बोलेरो गाडी से मेरे भाई की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे वह दोनो दूर जा गिरे व हत्या करने का प्रयास किया। बोलेरो गाडी में पुष्पेन्द्र व अन्य तीन चार लड़के बोलेरो गाडी में थे।

शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण रजनीश पूनिया के निर्देशन में व प्रियंका वैष्णव वृत्ताधिकारी जोबनेर के निकट सुपरविजन में तथा सुहैल खान थानाधिकारी जोबनेर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ विक्की उर्फ गुद्दू पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी जाति जाट उम्र 18 साल निवासी ढेहरा थाना जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या के प्रयास में काम मे ली गई वाहन बोलेरो गाडी को जप्त किया गया। अन्य साथियो की तलाश जारी है।

जोबनेर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में युवक को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त किया।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी (दौसा)
दूरभाष नं.-01431-264194, पिनकोड नं.-303504
Email Add.: kums.mandawa@rajasthan.gov.in/mandawari.jpr@gmail.com
क्रमांक-95-108 दिनांक-21.05.2025

निविदा सूचना संख्या-01/2025-26

कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य करने हेतु मोहरबंद निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क (रूपयों में)	निविदा फार्म बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय
1	चौकीदारी व्यवस्था सुरक्षाप्रहरी (सिविल)	9.70	500	02.06.2025 सायं 5.00 बजे तक	03.06.2025 दोपहर 12.30 बजे तक	03.06.2025 दोपहर 01.30 बजे से
2	सफाई व्य